निविदा सूचना

सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य स्तरीय 72 वाँ राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेला–2024 दिनांक 14 नवम्बर, 2024 से 20 नवम्बर, 2024 तक आयोजित किया जाना है। जिसके सफल संचालन हेतु निम्न तालिका के अनुसार निविदायें आमन्त्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि व समय	निविदा प्रपत्र डालने की तिथि व समय	निविदा प्रपत्र खोले जाने की तिथि व समय	निविदा धरोहर धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1–	मेला मैदान में सुसज्जित स्टालों, दुकानें, फूड कैन्टीन, मा0 विधायक, मेलाधिकारी, मेला सचिव कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, मीडिया सेन्टर कक्ष व किड्स जोन को वाटरप्रूफ (टीन–शीट द्वारा) तैयार करना, उनमें गरिमा के अनुरूप पर्याप्त फर्नीचर टेबिलें इत्यादि उपलब्ध कराना तथा उनमें विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना।	रू0 2000.00	दिनांक 10.10.2024 को पूर्वाहन 11:00 बजे से दिनांक 24.10.2024 को पूर्वाहन 11:00 बजे तक। (समस्त कार्यदिवसों में)	दिनाक 24.10.2024 को पूर्वाहन 11:00 बजे से दिनांक 24.10.2024 को अपराहन 01:00 बजे तक	दिनांक 24.10.2024 को अपराहन 3:00 बजे।	रू0 50,000.00 (पचास हजार रूपये मात्र)
2–	जनरेटर की व्यवस्था (आवश्यकतानुसार डीजल/ईधन की सम्पूर्ण व्यवस्था सहित)।					
3–	सम्पूर्ण मेला मैदान का बैरिकेटिंग कार्य। मेला मैदान में समुचित प्रकाश व्यवस्था, फव्वारे के चारों ओर रंगीन फोकस लाइट्स व मुख्य बाजार का सजावट कार्य। सुसज्जित/भव्य मेला गेटों व स्वागत गेटों का निर्माण।					
4–	गौचर मुख्य बाजार में लगभग 250 मीटर लम्बाई में सड़क के दोनों तरफ रात्रि प्रकाश सजावट लाईटिंग कार्य एवं चमकीली झालर लगाये जाने सम्बन्धी कार्य।					
5–	ध्वजारोहण, खेल–कूद प्रतियोगिता, मेलाधिकारी कार्यालय एंव अस्थाई मेला पुलिस थाना में पब्लिक एड्रेस सिस्टम/साउण्ड सिस्टम व्यवस्था।					
6–	मेला मैदान में विभिन्न स्थानों पर उच्च क्वालिटि के 04 सेल्फी प्वाइंट तैयार करना।					
7–	मेला समिति के द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।					

निविदाओं के साथ वॉछित धरोहर धनराशि की एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंकों की एफ0डी0आर0 या डिमान्ड ड्राफ्ट (डी0डी0) अथवा डाकघर पासबुक जो उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग/मेलाधिकारी गौचर मेला के पक्ष में बन्धक रखते हुए **मूल रूप** में लगाना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र दिनांक 10.10.2024 से दिनांक 24.10.2024 पूर्वाह्न 11:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं तथा दिनांक 24.10.2024 को अपराह्न 01:00 बजे तक इसी कार्यालय में स्थापित निविदा बॉक्स में डाले जा सकते हैं। निविदा दिनांक 24.10.2024 को अपराह्न 03:00 बजे निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख खोली जायेगी। निविदा की शर्तें व अन्य जानकारी गौचर मेला–2024 की अधिकारिक वेबसाइट website-gauchermela.in से प्राप्त की जा सकती है।

उप जिलाधिकारी,कर्णप्रयाग/
मेलाधिकारी गौचर मेला।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, कर्णप्रयाग/मेलाधिकारी गौचर मेला–2024।

E-Mail Id- gaucharmela@gmail.com Website- gauchermela.in Mob. No- 01363-244209

पत्रांकः– 26 /72–वॉ गौचर मेला–दुकान स्टॉल निर्माण टेण्डर/2024–25 दिनांकः 9 अक्टूबर, 2024

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रभारी अधिकारी नजारत, जिला कार्यालय चमोली, कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी चमोली, समस्त उप जिलाधिकारी कार्यालय/तहसील कार्यालय जनपद चमोली, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली, समस्त खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय जनपद चमोली, समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद चमोली, को नोटिस बोर्ड पर उक्त निविदा आमत्रंण सूचना चस्पा किये जाने हेतु ।
2. सम्पादक, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि निविदा सूचना को प्रादेशिक संस्करण में न्यूनतम आकार में न्यूनतम शासकीय दरों पर प्रकाशित करते हुए जिला सूचना अधिकारी से बिल सत्यापित करवाते हुए भुगतान हेतु दो प्रतियों में अखबार की कटिंग सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप जिलाधिकारी,कर्णप्रयाग/
मेलाधिकारी गौचर मेला।

प्रारूपः–01 (तकनीकी निविदा प्रपत्र)

निविदा फार्म संख्या/दिनांक................................

निविदा फार्म शुल्क रू0 2000.00 (दो हजार रूपये मात्र)

राज्य स्तरीय 72–वाँ राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेला–2024 में मेला मैदान में दुकान, स्टॉल, बैरिकेटिंग सजावट कार्य इत्यादि हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र का प्रारूप

श्रीमान,

उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग/
मेलाधिकारी गौचर मेला।

नवीनतम फोटो

1. निविदादाता/फर्म का नाम –..
2. स्थाई पता–..
3. पत्राचार का पता–..
   पिन कोड नम्बर...फोन/मोबाईल नम्बर..
4. जी0एस0टी0 नम्बर..पैन कार्ड नम्बर...................................(छाया प्रति संलग्न करे)
5. जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र संख्या.......................................
   दिनांक .... (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
6. विगत तीन वित्तीय वर्षो (2021–22, 2022–23, 2023–24) की आयकर विवरणी जो आयकर विभाग में जमा हो। (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
7. विगत तीन वर्षो (2021–22, 2022–23, 2023–24) का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (छायाप्रतियां संलग्न करें)।
8. धरोहर राशि का एन.एस.सी./राष्ट्रीयकृत बैंकों एफ.डी.आर. या ड़िमाण्ड ड्राफ्ट (ड़ी.डी.) अथवा ड़ाकघर पासबुक संख्या...दिनांक..........................रू0 ....

हस्ताक्षर निविदादाता

घोषणा पत्र

मेरे द्वारा आवेदन फॉर्म/निविदा प्रपत्र के साथ निविदा की सभी शर्तो की सूची प्राप्त कर ली गई है और उसे मेरे द्वारा भली भांति पढ़ लिया गया है। मैं सभी कार्यो एवं शर्तो का पूर्ण रूप से पालन करूंगा और निविदा में अंकित सभी कार्य निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण करूंगा। यदि मेरे द्वारा निविदा में अंकित कार्य निर्धारित शर्तो के अनुसार पूर्ण नहीं किया जाता है या उसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता पायी जाती है तो मेला समिति मेरी धरोहर राशि एवं कार्यपूर्ति प्रतिभूति राशि को जब्त कर मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकती है तथा उक्त कार्य किसी अन्य व्यक्ति/फर्म से करा सकती है, जिसमे मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक / /2024

हस्ताक्षर निविदादाता

प्रारूपः–02 (वित्तीय निविदा प्रपत्र)

राज्य स्तरीय 72–वाँ राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेला–2024 में मेला मैदान में दुकान, स्टॉल, बैरिकैंडिग सजावट कार्य इत्यादि हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र का प्रारूप

1. कमांक...........................
2. दिनांक............................
3. निविदादाता/फर्म का नाम.............................
4. निविदादाता/ फर्म का स्थाई पता..
5. निविदादाता/फर्म का पत्राचार का पता.....................................
6. निविदादाता/फर्म का दूरभाष/मोबाइल न0 ....
7. निविदादाता/फर्म का ई–मेल पता...

क्र. सं.	कार्य का विवरण	निविदा की दरें जी0एस0टी0 सहित रूपये (अंकों में)	निविदा की दरें जी0एस0टी0 सहित रूपये (शब्दों में)
1	मेला मैदान में ले–आउट के अनुसार लगभग 142 स्टाल (माप–12×12 फीट) वाटर–प्रूफिंग सहित (टीन–शीट द्वारा) तैयार करना। जिनकी छत को सफेद कपड़े व नीली पट्टी से सुसज्जित किया जाना।		
2	मेला मैदान में ले–आउट के अनुसार लगभग 287 दुकानें (माप–12×12 फीट) वाटर–प्रूफिंग सहित (टीन–शीट द्वारा) तैयार करना। जिनकी छत को सफेद कपड़े व नीली पट्टी से सुसज्जित किया जाना।		
3	मा0 विधायक कार्यालय, मेलाधिकारी कार्यालय, मेला सचिव कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, मीडिया सेन्टर के लिए वाटर–प्रूफ (टीन–शीट द्वारा) कक्ष (माप–15×15 फीट) का निर्माण करना। अस्थाई मेला पुलिस थाना के लिए वाटर–प्रूफ (टीन–शीट द्वारा) कक्ष का निर्माण करना।		
4	मेज (विभागीय स्टॉलों हेतु) –300 अदद		
5	प्लास्टिक कुर्सी (स्टालों हेतु) –600 अदद		
6	मेलाधिकारी कार्यालय, मा0 विधायक कार्यालय, मीडिया सेन्टर हेतु 08 सोफे (टू–सीटर), 04 सेन्टर टेबल (ग्लास टॉप युक्त) तथा 50 कुर्सियां (गद्दीयुक्त) उपलब्ध कराना।		
7	सम्पूर्ण मेला मैदान की बैरिकेटिंग कार्य (टीन व पाईपों के द्वारा)। जिसमें फुटबॉल मैदान की भी आवश्यकतानुसार पूर्णतः बैरिकेटिंग की जानी है।		
8	(1) मेला मैदान में निर्मित फव्वारे के चारों ओर रंगीन फोकस लाइट्स की व्यवस्था करना। (2) मेला मैदान के तीनों प्रवेश द्वारों पर अस्थाई सुसज्जित/भव्य मेला गेट का निर्माण किया जाना। (3) गौचर मुख्य बाजार में होटल वुडन अम्ब्रैला एवं पुलिस चौकी के पास दोनों ओर से अस्थाई भव्य प्रवेश द्वारों का निर्माण एवं साज–सज्जा। (4) गौचर मुख्य बाजार में होटल वुडन अम्ब्रैला से लेकर		

	पुलिस चौकी के बीच लगभग 250 मीटर लम्बाई में सड़क के दोनों तरफ रात्रि प्रकाश सजावट (लाईटिंग कार्य) एवं चमकीली झालर लगाये जाने सम्बन्धी कार्य।		
9	(1) मेले के उदघाटन के अवसर व स्कूली छात्र–छात्राओं के मार्च–पास्ट के दौरान जिलाधिकारी महोदय हेतु सलामी मंच तैयार करना तथा ध्वजारोहण के समय एवं मेले में विभिन्न खेल–कूद प्रतियोगिताओं के दौरान कार्यक्रम स्थलों पर माईक व साउण्ड सिस्टमों की पर्याप्त व समुचित व्यवस्था। (2) मेलाधिकारी कार्यालय एंव अस्थाई मेला पुलिस थाना में पब्लिक एड्रेस सिस्टम/साउण्ड सिस्टम स्थापित करना।		
10	मेलाधिकारी कार्यालय, मा0 विधायक कार्यालय, मीडिया सेन्टर, अस्थाई थाना, अग्निशमन कार्यालय सहित प्रत्येक दुकान एव स्टॉल पर समुचित रूप से विद्युत कनेक्शन और विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल सुचारू रखने हेतु आवश्यकतानुसार जनरेटर की व्यवस्था (ईधन–व्यवस्था सहित)।		
11	मेला मैदान में किड्स जोन हेतु निर्धारित स्थल पर बैरिकेटिंग व मैटिंग सहित स्टॉल तैयार करना।		
12	मेला मैदान में विभिन्न स्थानों पर उच्च क्वालिटि के 04 सेल्फी प्वांइट तैयार करना।		
13	फूड कैन्टीन संचालन हेतु निर्धारित भू–भाग पर कैन्टीन स्टाल व कीचन/गोदाम तैयार करना।		
14	दिनांक 14.11.2024 से दिनांक 20.11.2024 तक प्रदर्शनी स्थल/स्टॉलों एवं मुख्य मेला गेट से पाण्डाल तक मुख्य मार्ग में ट्यूब लाईट/एल0ई0डी0 बल्बों से प्रकाशित करने सम्बन्धी कार्य।		
कुल योग–		**अंकों में–**	
		शब्दों में–	

हस्ताक्षर–

फर्म की मोहर–

हस्ताक्षरकर्त्ता का पूरा नाम–
पूरा पता–
दूरभाष/मो0 न0–

72–वाँ राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेला–2024
हेतु दुकान/स्टॉल फूड कैन्टीन निर्माण आदि हेतु निविदा कार्य एवं शर्तों का विवरण

दिनांक 14 नवम्बर, 2024 से 20 नवम्बर, 2024 तक राज्य स्तरीय 72–वाँ राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेला, 2024 स्थान गौचर (जनपद चमोली) मे मेला मैदान पर विभिन्न राजकीय विभागों हेतु स्टॉल, व्यापारियों हेतु दुकानों, फूड कैंन्टीन सेल्फी प्वाइंट, फूड कैन्टीन, सम्पूर्ण मेला मैदान की बैरिकेडिंग, मेला मैदान एवं मुख्य बाजार की लाईटिग एवं सजावट कार्य, खेल मैदान में माइक एवं लाउड स्पीकर की व्यवस्था इस हेतु निम्न शर्तें निर्धारित की गई हैं:–

तकनीकी निविदा हेतु अनिवार्य शर्तें –

1. निविदादाता/फर्म का वार्षिक टर्न–ओवर धनराशि रू0 12,00000.00 (रू0 बारह लाख मात्र) अथवा उससे अधिक हो, जिसके लिये इस आशय का एक प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। साथ ही विगत तीन वित्तीय वर्षों (2021–22, 2022–23 तथा 2023–24) की ऑडिट बैलेंस सीट की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. निविदादाता/फर्म को तकनीकी निविदा के साथ विगत तीन वर्षों (2021–22, 2022–23 तथा 2023–24) के आयकर विवरणी, जो कि आयकर विभाग में जमा हो, की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. निविदादाता/फर्म का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नम्बर, पेन नम्बर, बैंक का नाम तथा खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड तथा फर्म का आयकर पंजीकरण नम्बर, यदि व्यक्तिगत हो, तो फर्म के साथ साझेदारी/प्रोपराइटर निविदा की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. **निविदादाता द्वारा पूर्व में आयोजित कराये गये राज्य स्तरीय मेलों/कार्यक्रमों की अनुभव सम्बन्धी प्रमाण–पत्र एवं ऐसे कार्यों के फोटोग्राफ/वीडियोग्राफ समिति के समक्ष दिखाया जाना होगा।**
5. निविदादाता/फर्म को किसी भी सरकारी विभाग द्वारा Black Listed नहीं किया गया हो, इस आशय का शपथ पत्र धनराशि रू0 100.00 (रू0 सौ मात्र) के नॉन–ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर दाखिल करना होगा।
6. निविदादाता/फर्म को तकनीकी निविदा के साथ निविदा सूचना के कालम संख्या–07 के अनुसार धरोहर धनराशि की एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंकों की एफ0डी0आर0 या डिमान्ड ड्राफ्ट (डी0डी0) अथवा डाकघर पासबुक, जो उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग/मेलाधिकारी गौचर मेला के पक्ष में बन्धक रखते हुए ***मूल रूप*** में संलग्न करना होगा।
7. सफल निविदादाता जिसके पक्ष में संविदा की जायेगी, को कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि **रू0 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)** की एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंकों की एफ0डी0आर0 या डिमान्ड ड्राफ्ट (डी0 डी0) अथवा डाकघर पासबुक जो उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग/मेलाधिकारी गौचर मेला के पक्ष में बन्धक रखते हुए, तीन दिन के अन्तर्गत **मूल रूप** में प्रस्तुत करना होगा।
8. मेलाध्यक्ष/जिलाधिकारी चमोली के द्वारा किसी भी समय बिना सूचित किये निविदा प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार होगा।
9. तकनीकी निविदा (प्रारूप–1)एवं वित्तीय निविदा (प्रारूप–2) निविदा हेतु निर्धारित प्रारूपों पर प्रस्तुत करते हुए शर्तो में उल्लिखित दस्तावेज/अभिलेख पृथक–पृथक लिफाफों में बन्द कर जमा करना अनिवार्य होगा तथा तकनीकी निविदा से सम्बन्धित लिफाफे के बाहर "**तकनीकी निविदा**" तथा वित्तीय निविदा से सम्बन्धित लिफाफे के बाहर "**वित्तीय निविदा**" अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

अन्य आवश्यक शर्तें –

1. मेला मैदान में दुकानें, स्टॉल निर्माण, बैरिकेटिंग कार्य, सजावट इत्यादि कार्यों हेतु वित्तीय निविदा के प्रारूप–02 में अंकित कार्यों की मदवार धनराशि का कुल योग, जिस निविदा दाता का न्यूनतम पाया जायेगा, उस न्यूनतम निविदा दाता के पक्ष में निविदा स्वीकृत की जायेगी।
2. निविदादाता/फर्म को अपना नाम, पता, व्यापार का स्थान, मोबाइल नम्बर, ई–मेल आदि दर्ज करना आवश्यक होगा।
3. वित्तीय निविदा में उल्लिखित विभिन्न कार्यों की दरें सभी प्रकार के कर, लाईसेन्स, मजदूरी, ढुलाई, लोडिंग/अनलोडिंग आदि सहित दी जायेगी। निर्धारित स्थान पर सामग्री पहुँचाने के लिये किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त व्यय अनुमन्य नहीं होगा।
4. वित्तीय निविदा में धनराशि का अंकन जी0एस0टी0 सहित शब्दों एवं अंकों दोनों में करना अनिवार्य है। यदि इसमें कोई अन्तर आता है तो शब्दों में लिखी गयी धनराशि को ही अन्तिम माना जायेगा।
5. निविदादाता को ***निर्धारित मानक व विशिष्टताओं*** के अनुसार ही कार्य करना होगा। यदि कार्य मानक व विशिष्टताओं के अनुसार नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही संस्थित की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

6. अस्पष्ट, ओवर राईटिंग एवं बिना हस्ताक्षर वाले तथा अपूर्ण निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. निर्धारित शर्तों का पालन न करने की दशा में तथा किसी भी सूचना को छिपाये जाने की दशा में निविदा किसी भी समय निरस्त कर **धरोहर राशि एवं कार्यपूर्ति प्रतिभूति राशि** को जब्त कर लिया जायेगा।
8. उपर्युक्त निविदा की शर्तों के विषय में किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिलाधिकारी, महोदय चमोली/मेलाध्यक्ष गौचर मेला का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
9. निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने पर सफल निविदादाता को छोड़कर शेष निविदादाताओं को धरोहर राशि तत्काल वापस कर दी जायेगी।
10. नियमानुसार किसी भी फर्म आदि की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् धनराशि रू0 100.00 (रू0 एक सौ मात्र) के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर **02 दिन के भीतर अनुबन्ध** करना आवश्यक होगा, जिसकी विषयवस्तु से यथासमय अवगत करा दिया जायेगा।
11. मेलाधिकारी कार्यालय, मा0 विधायक कार्यालय, मीडिया सेन्टर हेतु 08 सोफे (टू–सीटर), 04 सेन्टर टेबल (ग्लास–टॉप युक्त) तथा 50 कुर्सियां (गद्दी–युक्त) उपलब्ध करानी होगी।
12. विभागीय स्टॉलों हेतु 300 टेबल तथा 600 प्लास्टिक कुर्सियां उपलब्ध करानी होगी।
13. मेला मैदान में निर्मित फव्वारे के चारों ओर **रंगीन फोकस लाइट्**स की व्यवस्था करनी होगी।
14. मेला मैदान के तीनों प्रवेश द्वारों पर अस्थाई सुसज्जित/भव्य मेला गेट का निर्माण किया जाना होगा। निविदादाता द्वारा मेला मैदान में तीन भव्य मेला गेटों को 3–डी0 (3-D) थीम पर निर्मित किया जाना अनिवार्य है। 3–डी0 (3-D) थीम गेटों के निर्माण के अनुभव व तत्सम्बन्धी फोटोग्राफ व वीडियोग्राफ संलग्न करने होगें।
15. गौचर मुख्य बाजार में होटल वुडन अम्ब्रैला एवं पुलिस चौकी के पास दोनों ओर से अस्थाई भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाना होगा। जिनका आकार व उंचाई पर्याप्त रखी जाय, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात में बाधा उत्पन्न न हो।
16. गौचर मुख्य बाजार में होटल वुडन अम्ब्रैला से लेकर पुलिस चौकी के बीच लगभग 250 मीटर लम्बाई में सड़क के दोनों तरफ रात्रि प्रकाश सजावट लाईटिंग कार्य एवं चमकीली झालर लगाया जाना होगा।
17. मेले के उदघाटन अवसर व स्कूली छात्र–छात्राओं के मार्च–पास्ट के दौरान जिलाधिकारी महोदय हेतु सलामी मंच तैयार करना तथा ध्वजारोहण के समय एवं विभिन्न खेल–कूद प्रतियोगिताओं के दौरान कार्यक्रम स्थलों पर माईक व साउण्ड सिस्टम की पर्याप्त व समुचित व्यवस्था करनी होगी।
18. मेलाधिकारी कार्यालय एंव अस्थाई मेला पुलिस थाना में पब्लिक एड्रेस सिस्टम/साउण्ड सिस्टम स्थापित करना होगा।
19. मेला मैदान में (नक्शे के अनुसार)लगभग **287 वाटर–प्रूफ (टीन–शीट द्वारा) दुकान (माप–12×12 फीट) एवं 142 वाटर–प्रूफ (टीन–शीट द्वारा) स्टाल (माप–12×12 फीट)** के निर्माण एकरूपता से करते हुये ***सफेद कपड़ा व नीली पट्टी*** का प्रयोग करना होगा। दुकान एवं स्टाल को सफेद कपड़े से कवर करते हुये नीली पट्टी से सुसज्जित करना होगा।
20. मेलाधिकारी कार्यालय, मा0 विधायक कार्यालय, मीडिया सेन्टर, अस्थाई थाना, अग्निशमन कार्यालय सहित प्रत्येक दुकान एव स्टॉल पर समुचित रूप से विद्युत कनेक्शन भी देना होगा और विद्युत बाधित होने पर तत्काल सुचारू कराना होगा। आवश्यकतानुसार ईधन/डीजल सहित जनरेटर की व्यवस्था भी रखनी होगी।
21. माननीय विधायक कार्यालय, मेलाधिकारी कार्यालय, मेला सचिव कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, मीडिया सेन्टर के लिए **वाटर–प्रूफ (टीन–शीट द्वारा)** कक्ष **(माप–15×15 फीट)** का निर्माण करना होगा।
22. गौचर मेला मैदान में निर्धारित ले–आउट के अनुसार सम्पूर्ण मेला मैदान की बैरिकैंटिंग करना होगा। जिसमें फुटबॉल मैदान की भी आवश्यकतानुसार पूर्णतः बैरिकेटिंग की जानी है।
23. मैदान मैदान में विभिन्न स्थानों पर 04 सेल्फी प्वांइट तैयार करना होगा।
24. मेला मैदान में किड्स जोन हेतु निर्धारित स्थल पर बैरिकैंडिग व मैटिंग सहित **वाटर–प्रूफ (टीन–शीट द्वारा)** स्टॉल तैयार करना होगा।
25. फूड कैन्टीन संचालन हेतु निर्धारित भू–भाग पर कैन्टीन स्टाल व कीचन/गोदाम तैयार करना होगा।
26. दिनांक 14.11.2024 से दिनांक 20.11.2024 तक प्रदर्शनी स्थल/स्टॉल एवं मुख्य मेला गेट से पाण्डाल तक मुख्य मार्ग में ट्यूब लाईट/एल0ई0डी0 बल्बों से प्रकाशित करना होगा।
27. उपरोक्त इंगित समस्त कार्य स्वीकृति उपरान्त प्रत्येक दशा में तत्काल प्रारम्भ कर सभी निर्दिष्ट कार्य दिनांक 10–11–2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक पूर्ण करने होगे।
28. निविदादाता का स्वयं के द्वारा मेला मैदान पर विभिन्न राजकीय विभागों हेतु स्टॉल, व्यापारियों हेतु दुकानों, फूड कैन्टीन सेल्फी प्वाइंट, फूड कैन्टीन इत्यादि का इन्श्योरेन्स धनराशि रू0 50,00,000.00 (पचास लाख रूपये मात्र) भी कराया जाना अनिवार्य होगा।

29. निविदादाता को मेला मैदान पर विभिन्न राजकीय विभागों हेतु स्टॉल, व्यापारियों हेतु दुकानों, फूड कैंन्टीन सेल्फी प्वाइंट, फूड कैन्टीन, इत्यादि को मेला समाप्ति के उपरान्त दो दिन अन्दर दिनांक 22.11.2024 को सांय 05:00 बजे तक प्रत्येक दशा में मेला मैदान से हटा कर मेला मैदान खाली करना होगा। अन्यथा कि दशा में मेला समिति द्वारा अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।
30. मेलाधिकारी / मेला समिति के द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर सौंपे गये अन्य समस्त आकस्मिक कार्य भी तत्काल करने होंगे।

दिनांकः 10, अक्टूबर 2024।
स्थानः कर्णप्रयाग।

उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग /
मेलाधिकारी, गौचर मेला।